समक्ष :माननीय राजस्व मंडल म0प्र0 ग्वालियर

III/निगरानी/गुना/भू.रा./2017/6208

प्र0क0 /2017 निगरानी

विष्णु पुत्र चिरोजीलाल माली निवासी चाचौडा तहसील चाचौडा जिला गुना म.प्र. ।

.............आवेदक

श्री .... द्वारा आज दि0 20.12.17 को प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 4-1-18 नियत।
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर
20.12.17

विरूद्ध

विधादेवी पत्नि स्व0 प्रेमनारायण गुप्ता निवासी जैन मंदिर के सामने चाचौडा तहसील चाचौडा जिला गुना म.प्र.

..........अनावेदक

निगरानी अतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू–राज्य सहिता 1959 के तहत पारित अनुविभागीय अधिकारी अनुभाग चाचोडा जिला गुना के प्रकरण क 0001/अ–70/2017–18 में पारित आलोच्य आदेश दिनांक 30.11. 2017 के विरूद्ध।

माननीय महोदय ,

सेवा मे निगरानीकर्ता की ओर से निगरानी निम्न प्रकार है :–

प्रकरण के प्रारम्भिक तथ्य –:

1. यहकि , प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अनावेदक द्धारा तहसील चाचोडा के समक्ष धारा 250 के अंतर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर वताया गया कि अनावेदक की भूमि स्वामी स्वत्व की सर्वे कमाक 567रकवा 0.178 हे. भूमि एवं 568/2 रकवा 1.040 हे. भूमि कस्वा चाचोडा में है अनावेदक की भूमि सर्वे कमाक 567 रकवा 0.178 हे. भूमि पर आवेदक द्धारा कव्जा कर लिया गया है। अनावेदक द्धारा प्रस्तुत आवेदन पत्र पर से तहसीलदार चाचोडा द्धारा प्रकरण क

(2)

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक III/निग/गुना/भू.रा./2017/6208 जिला– गुना

विष्णु बनाम विद्यादेवी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
22.12.2017	प्रकरण में आवेदक अधिवक्ता श्री सुनील सिंह जादौन को सुना गया। यह निगरानी प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी अनुविभाग–चाचौड़ा, जिला–गुना के प्र.क. 0001/अ–70/2017–18 में पारित आदेश दिनांक 30.11.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। निगरानी मेमो में अंकित तथ्यों तथा अलोच्य आदेश दिनांक 30.11.2017 का भी अवलोकन कर उन पर विचार किया गया तथा आवेदक अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया। आवेदक अधिवक्ता सुनवाई के दौरान निगरानी मेमो में अंकित तथ्यों की पुष्टि में कोई सारवान तथ्य प्रस्तुत नहीं कर सके। ऐसी स्थिति में प्रकरण में ग्राहयता का पर्याप्त सारवान आधार न होने से यह प्रकरण अग्राह्य किया जाता है। सदस्य	

[कृ. प. उ.